प्राथमिकता

पत्र संख्या-स्था-5(ग) आ0ले0प0 /मानव सम्पदा / 2022-2023/ 574 / राज्य कर

कार्यालय- आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना -अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 01/05/ ~~04~~- 2023

1- **समस्त जोनल अपर आयुक्त , राज्य कर उत्तर प्रदेश ।**

2- अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

कृपया निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ का पत्र संख्या आ0ले0प0-159/8160/अधि0/मानव सम्पदा पोर्टल/2018, लखनऊ दिनांक 18-04-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम विकसित किए जाने हेतु कार्मिकों के विवरण भरे जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ का उक्त पत्र दिनॉक 18.04.2023 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त , राज्य कर
प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

DC (IT) 02/05/2023 323

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट के सूचना बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु ।

(प्रवीण वर्मा)
सहायक आयुक्त(स्था0अराज0)राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

C:\Users\istha5ga\Desktop\5(ga)patal\letter.docx

प्रेषक,

निदेशक,
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा,उ०प्र०
510/217, नया हैदराबाद,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– आ०ले०प०–159/8160/अधि०/मा0स0/2018, दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय : लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों के मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड ट्रान्सफर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संज्ञानित होने का कष्ट करें कि लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आनलाइन स्थानान्तरण के लिये मानव सम्पदा पोर्टल पर समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण को अनिवार्य रूप से शुद्ध भरा जाना आवश्यक है।

क0सं0	फील्ड	अभ्युक्ति
1	कार्मिक की दिव्यांगता की स्थिति	Office ID से Edit Registration Detail में जाकर Special Category में Physically Disabled Select किया जायेगा (यदि लागू हो)
2	वरिष्ठता कमांक	Office ID से Edit Registration Detail में जाकर Seniority No अंकित किया जायेगा। यदि Seniority No नही है तो Blank छोड़ दिया जायेगा।
3	पति/पत्नी का EHRMS कोड	Office ID से Edit Registration Detail में जाकर Spouse EHRMS Code अंकन किया जायेगा। यदि Spouse का EHRMS कोड नही है और वो शासकीय सेवा में हैं तो 0 (ZERO) अंकन किया जायेगा। यदि Spouse शासकीय सेवा में नहीं है तो उक्त Catagory को Blank छोड़ दिया जायेगा।
4	स्वास्थ्य की स्थिति	Office ID से Edit Registration Detail में जाकर Health Status में Critically ill अंकन किया जायेगा (यदि लागू हो) कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि "गंभीर रूप से बीमार" के सम्बन्ध में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राजकीय मेडिकल कालेजों/मेडिकल विश्वविद्यालय एवं समकक्ष अथवा SGPGI द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही इसे अंकित करायेगें।
5	सेवानिवृत्ति की तिथि	Office ID से Edit Registration Detail में जाकर Retirement Date में अनिवार्य रूप से शुद्ध अंकन किया जायेगा।

उपरोक्त विवरण/फील्ड पोर्टल पर शुद्ध भरे न होने की दशा में आनलाइन स्थानान्तरण में Weightage नही मिल पायेगा जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया आपके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत लेखा, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों का विवरण तत्काल अद्यतन कराने का कष्ट करें ताकि आनलाइन स्थानान्तरण प्रकिया मे कार्मिकों को नियमानुसार Weightage का लाभ प्राप्त हो सके।

D(लेखा-5(गा)

अपर आयुक्त (प्रशा0)
21.4.2023
103

भवदीया

(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक

(15)

पत्रांक– आ०ले०प०–   /8160/अधि०/मा0स0/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–विशेष सचिव, वित्त (सेवायें) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

2–लेखा लेखा परीक्षा तथा सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के समस्त कार्मिकों को उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से।

3–आई0टी0 सेल को आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक